

क्रमांक/NHM/2020/...लेखा/...../12

नवागढ़, दिनांक : 27/01/2020

ज्ञापन/निविदा आमंत्रण सूचना

विकासखंड नवागढ़, जिला बेमेतरा में मितानिनों के 24 वां चरण प्रशिक्षण हेतु निविदा ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ अंतर्गत बेमेतरा में 24 वां चरण मितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किये जाने हेतु निविदा बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ अंतर्गत बेमेतरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ के अधिनस्थ कार्यरत मितानीनों को 24 वां चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी मितानीनों एवं प्रशिक्षकों को चाय, नाश्ता व भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। तथा उनके आवास(भवन) एवं गद्दा, चादर, कंबल भी उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु निविदा आमंत्रित है।

उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 27/01/2020 तक संलग्न मीनू/सूची अनुसार निविदा कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) के पते मे रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से मितानीन प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता एवं भोजन तथा आवास(भवन) एवं गद्दा, चादर, कंबल हेतु निविदा पत्र लिखा होना चाहिए।

निविदा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 27/01/2020 (शाम 5.00 बजे तक)

निविदा के संबंध में विस्तृत जानक :- कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र नवागढ़ के कक्ष
क्रमांक 21 पर।

निविदा खोले जाने की तिथि :- 29/01/2020 (दोपहर 12.00 बजे)

सेवा प्रदाता चयन हेतु नियम व शर्त :-

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत संलग्न मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन तथा आवास(भवन) एवं गद्दा, चादर, कंबल प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रशिक्षक प्रतिदिन अधिकतम व्यय सीमा राशि रु. 145/- (रु. एक सौ पैंतालिस) मात्र है।
2. संस्था द्वारा प्रदाय निविदा के चयन पश्चात उसमें किसी तरह की कमी मान्य नहीं होगा, सामाग्रीयों तथा गुणवत्ता में कमी या समय पर प्रशिक्षणार्थीयों हेतु चाय, नाश्ता एवं भोजन व अन्य सामाग्री उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित निविदाकर्ता/संस्था/स्वयं सहायता समुह का चयन निरस्त किया जायेगा एवं किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. प्रदाय किये जाने वाले भुगतान पर शासन के नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती किया जायेगा।
4. निविदा पत्र के साथ राशि रु. 500/- अक्षरी रु. पांच सौ मात्र का डी.डी/बैंकर्स चेक NRHM Flexipool Nawagarh के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य है, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
5. विस्तृत जानकारी कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ के कक्ष क्रमांक 21 से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।



6. उपरोक्तानुसार समस्त व्यवस्था हेतु अधिकतम 145 रु0 प्रति प्रशिक्षक/प्रशिक्षिणार्थी प्रतिदिन कि दर मान्य है। उससे अधिक के निविदा राशि को मान्य नहीं किया जायेगा। एवं उपरोक्त समस्त व्यवस्था हेतु 145 रु प्रति प्रशिक्षक/प्रशिक्षिणार्थी प्रतिदिन कि दर के विरुद्ध प्राप्त न्यूनतम निविदा राशि को उक्त कार्य हेतु कार्यदेश दिया जायेगा।
7. फर्म/समूह पंजीयन/व्यापार कर/स्थापना (गोमास्ता) में पंजीकृत होना चाहिये।
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिये।
9. निविदा के साथ बैंक खाता,पैनकार्ड संलग्न करना है।
10. निविदा दर के साथ सेवा प्रदाता अपने समस्त खर्च शामिल कर प्रस्तुत करें। निविदा में उल्लेखित मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. फर्म/समूह का नाम एवं पता सह संपर्क व्यक्ति का नाम एवं फोन नं. सहित प्रदान करना अनिवार्य है।
13. निविदा/निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ का होगा। साथ ही जमा की गयी अमानत राशि को जब्त कर नियमानुसार समायोजन किया जावेगा।
14. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा समय पर गुणवत्ता पूर्ण भोजन व्यवस्था एवं चाय नास्ता की व्यवस्था होनी चाहिए, मापदण्ड के अनुसार भोजन व्यवस्था नहीं होने की दशा में प्राप्त सामाग्री/सुविधा स्वीकार नहीं की जावेगी।
15. निविदा अवधि 31.03.2020 वर्ष हेतु है। सेवा प्रदाता का कार्य के आधार पर समिति के निर्णय पर निविदा अवधि बढ़ाई जा सकती हैं।

मितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन का मीनू चार्ट।

क्र.	विवरण	सामाग्री विवरण	रिमांक
1	सुबह का नाश्ता	पोहा/समोसा, जलेबी, चाय अथवा समतुल्य	
2	दोपहर का भोजन	चावल, दाल, सब्जी, पापड़, आचार, अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन
3	शाम की चाय	चाय, बिस्कुट अथवा समतुल्य	
4	रात्रि का भोजन	चावल, दाल, सब्जी, पापड़, आचार, अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन

नोट:- प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षिणार्थीयो के आवास हेतु भवन एवं गद्दा, चादर, तकिया कंबल कि व्यवस्था भी निविदाकर्ता को करना होगा।

विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
पृ.क्रमांक/NHM/2020/.....113-116
प्रतिलिपी

खंड चिकित्सा अधिकारी
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)
नवागढ़, दिनांक : 07/01/2020

01. श्रीमान कलेक्टर जिला बेमेतरा को सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
03. जन संपर्क अधिकारी जिला बेमेतरा की ओर विस्तृत जानकारी को <http://bemetera.gov.in> एवं स्थानीय अखबार में प्रकाशित करने के लिये सादर सूचनार्थ।
04. एन.आई.सी. अधिकारी जिला बेमेतरा को <http://bemetera.gov.in> में प्रकाशित करने के लिये सादर सूचनार्थ।

विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़

खंड चिकित्सा अधिकारी
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़

मितानिन प्रशिक्षण दर हेतु तालिका

अधिकतम सीमा समस्त 145.00 समस्त कर को समाहित करते हुये

क्र.	विवरण	कार्य का विवरण	निविदा मुल्य	रि.
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मितानिन कार्यक्रम	भरपेट भोजन(दो समय) (.....)) विस्तृत विवरण देवे नास्ता (.....)) विस्तृत विवरण देवे चाय (.....) विस्तृत विवरण देवे		
2	मितानिन प्रशिक्षण हेतु	❖ रुकने की व्यवस्था (प्रति प्रतिभागी ,प्रशिक्षक व साथ आये उनके बच्चे हेतु भी भवन किराया,पानी,विद्युत,शौचालय,टेन्ट,एक गददा, एक चादर, एक तकिया व एक कंबल/रजाई)		

हस्ताक्षर/सी
मुद्रा